फा. सं. 3/30/2019-दीपम II-बी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

वैपकोस लिमिटेड के सूचीकरण और उसमें भारत सरकार की शेयरधारिता में से 25% तक शेयरधारिता का घरेलू बाजार में "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के माध्यम से विनिवेश करने हेतु बही संचालकों अग्रणी प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध।

1. प्रस्तावना

1.1 वैपकोस लिमिटेड केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन 26 जून 1969 को की गई थी; वैपकोस जल, विद्युत तथा अवस्थापना क्षेत्र में प्रभावी वैश्विक उपस्थिति के साथ एक प्रौद्योगकी संचालित कंसल्टेंसी और ईपीसी संगठन है। वैपकोस के पास अपने संचालन के क्षेत्रों में किसी भी पैमाने की और जटिलता वाली कंसल्टेंसी और ईपीसी परियोजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता है।

1.2 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपये है। वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 105.78 करोड़ रुपए के करोपरांत लाभ के साथ 1170.79 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, वैपकोस लिमिटेड का निवल मूल्य 499.40 करोड़ रुपए है।

2. सरकार का निर्णय

2.1 दिशा निर्देशों (इन दस्तावेजों के पैरा 5) के अनुसार, उन प्रतिष्ठित श्रेणी-1 के मर्चेंट बैंकरों से, एकल रूप में या संघ के रूप में, प्रक्रिया में बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों के रूप में कार्य करने तथा सरकार को सहयोग करने और सलाह देने के लिए **02.09.2019 को 1500 बजे** तक प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो सेबी के पास पंजीकृत हों और जिनके पास वैध प्रमाण-पत्र हो और जिनके पास पूंजी बाजार में सार्वजनिक पेशकशों का अनुभव एवं विशेषज्ञता हो। सेबी के पास पंजीकरण के प्रमाण-पत्र का "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" से संबंधित सभी क्रियाकलापों की समाप्ति तक वैध रहना अपेक्षित है।

3. बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों (बीआरएलएमएस) के उत्तरदायित्व

3.1 बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के सभी पहलुओं से जुड़े निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करना होगा, लेकिन ये कार्य यहीं तक सीमित नहीं होंगे :-

(i) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" की रूपरेखा, सेबी, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, स्टॉक एक्सचेंजों के वर्तमान ढांचे/दिशा-निर्देशों, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,

1956; प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957; यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उपर्युक्त विधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार करना।

(ii) उचित उद्यमिताकारी गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना तथा डीआरएचपी/आरएचपी/प्रॉस्पेक्टस तैयार करना एवं विनियामक/वैधानिक प्राधिकरणों की सभी निर्धारित आवश्यकताओं व औपचारिकताओं की पूर्ति करना।

(iii) सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/आरओसी के पास डीआरएचपी/आरएचपी/प्रॉस्पेक्टस दायर करने का दायित्व लेना।

(iv) विनियामक मानकों पर सलाह देना तथा जहां आवश्यक हो, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, आरबीआई, एफआईपीबी आदि से अनुमोदन एवं छूट प्राप्त करने में सहयोग देना।

(v) विपणन-पूर्व सर्वेक्षण, प्रचार-प्रसार आयोजित करना ताकि संभावित निवेशकों में रूचि उत्पन्न की जा सके। मुख्य निवेशकों के साथ बैठक आयोजित करना, कंपनी की विकास संभावना के विषय में संसूचन को सुसाध्य बनाना तथा मुख्य विपणन विषय-वस्तु तथा कंपनी की स्थिति को उजागर करना।

(vi) बाजार अनुसंधान करना, निर्गम के मूल्यांकन, शेयरों के निर्धारण में सहयोग देना तथा बिक्री पश्चात सहायता प्रदान करना आदि।

(vii) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" से संबंधित अन्य सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।

(viii) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" का उत्तरदायित्व लेना।

(ix) सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों के चयन में सहायता प्रदान करना तथा सभी मध्यस्थों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

(x) प्रकाशन हेतु वैधानिक विज्ञापनों को तैयार तथा अनुमोदित करना। विज्ञापन तैयार करने के खर्च का वहन बीआरएलएम द्वारा तथा इसके प्रकाशन के खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

(xi) घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय-दोनों प्रकार के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना। इस संबंध में सरकार तथा वैपकोस लिमिटेड के अधिकारियों के दौरों पर आए खर्च को छोड़कर सभी खर्चों का वहन बीआरएलएम द्वारा किया जाएगा।

(xii) भारत सरकार को "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के समय तथा उसकी पद्धतियों के बारे में सलाह देना।

(xiii) सरकार को सर्वोत्तम प्रतिलाभ सुनिश्चित करना।

(xiv) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के लिए आवश्यक स्टेशनरी के मुद्रण एवं वितरण के कार्यभार को ग्रहण करना, जैसा कि **अनुबंध-I** में दिया गया है। बीआरएलएम यह सुनिश्चित करेंगे कि मुद्रित स्टेशनरी पर्याप्त मात्रा में हो और केन्द्रों/पार्टियों को समय पूर्व उपलब्ध हो। नियुक्त बीआरएलएम सब श्रेणियों को मिलाकर कम से **कम 5 लाख आवेदन फार्म** मुद्रित करेंगे। इस संबंधी में पायी गयी किसी कमी को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में सभी खर्च का वहन बीआरएलएम द्वारा किया जाएगा।

(xv) बीआरएलएम द्वारा निम्नलिखित का, जहां लागू हो, बातचीत द्वारा तय उद्धरण प्राप्त करने के बाद भुगतान किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार इनवाइस के विरूद्ध कंपनी या भारत सरकार या दोनों द्वारा की जाएगी :

i. सेबी को फाइलिंग शुल्क।

ii. बुक बिल्डिंग हेतु सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए एनएसई/बीएसई को भुगतान।

iii. लाभार्थियों के खाते में शेयरों के अंतरण के लिए न्यासधारी अथवा न्यासधारी प्रतिभागियों को किया जाने वाला अपेक्षित भुगतान।

iv. आरंभिक कार्रवाईफाइलिंग और शेयरों के सूचीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों , को किया जाने वाला अपेक्षित भुगतान।

(xvi) दीपम की वेबसाइट www.dipam.gov.in पर उपलब्ध आदर्श करारों के आधार पर, आवश्यक करार करना जैसे-पेशकश करार, हामीदारी करार, सिंडिकेट करार, रजिस्ट्रार के साथ करार, विज्ञापन एजेंसी करार तथा एस्क्रो करार।

(xvii) निर्गम पश्चात उन सभी संबंधित कार्रवाईयों को पूरा करना जो सेबी के विनियमों के नियमों में निर्धारित हैं।

(xviii)आईपीओ से संबंधित अन्य यथापेक्षित सहयोग प्रदान करना।

टिप्पणी :

(क) निर्गम के बैंकरों, निर्गम के रजिस्ट्रार विधिक सलाहकारो, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय, लेखापरीक्षकों तथा विज्ञापन एजेंसी/जन संपर्क एजेंसी की नियुक्ति भारत सरकार या कम्पनी या दोनों द्वारा की जाएगी जो इन मध्यस्थों पर हुए खर्चों का वहन भी करेंगे।

(ख) केवल सरकारी अधिकारियों तथा वैपकोस लिमिटेड के अधिकारियों के दौरों पर हुए खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक पेशकश को आवेदन फार्मों के मुद्रण के पश्चात आस्थगित करने का निर्णय लेने की स्थिति में, सरकार मात्र आवेदन फार्मों के मुद्रण की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और वितरण लागत की नहीं। इसके अतिरिक्त, पेशकश के आस्थगन के कारण यदि फाइलिंग शुल्का का भुगतान पुनः करना अपेक्षित होने की स्थिति में, सरकार बीआरएलएम द्वारा भुगतान किए गए आरंभिक फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी।

3.2 सरकार द्वारा सार्वजनिक पेशकश में आवश्यक अनुभव प्राप्त **दो मर्चेन्ट बैंकरों** का चयन एवं नियुक्ति की जाएगी जो एक साथ मिलकर एक टीम बनेंगे एवं बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के नाम से जाने जाएगें। बीआरएलएम, सरकार के परामर्श से एक सिंडिकेट बनाएंगे जैसा सेबी के दिशा-निर्देशों/विनियमों के तहत आवश्यक है। सरकार के पास विकल्प होगा कि यदि वह आवश्यक समझे, तो वह अतिरिक्त सिंडिकेट सदस्य(सदस्यों) की नियुक्ति कर सकती है।

4. <u>जवाबदेही</u>

सरकार को सर्वोत्तम प्रतिफल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चयनित बैंकरों को उपर्युक्त खंड 3 में सूचीबद्ध उत्तरदायित्वों से उभरने वाली निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:-

4.1 नियुक्ति पत्र जारी करने की तारीख से 14 (चौदह) दिन के अंदर प्रत्येक चयनित बैंकर द्वारा दीपम के संबंधित अधिकारी को निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत की जाएगी :-

(क) आईपीओ के संबंध में मर्चेंट बैंकरों और/या उनके सहयोगियों के बीच उत्तरदायित्वों के पारस्परिक निर्धारण ("Inter-sc") का ब्यौरा। चयनित बैंकरों द्वारा प्रस्तुत पारस्परिक निर्धारण का मूल्यांकन दीपम द्वारा किया जाएगा और उन्हें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं और उन्हें पारस्परिक निर्धारण दुबारा प्रस्तुत करना होगा। संशोधित पारस्परिक निर्धारण, दीपम के साथ पारस्परिक निर्धारण में किए गए संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दो दिन के अंदर दीपम को प्रस्तुत करना होगा। दीपम द्वारा औपचारिक स्वीकृति के बाद संशोधित पारस्परिक निर्धारण अंतिम और बाध्यकारी पारस्परिक निर्धारण कार्रवाई बन जाएगी, जिसका मर्चेंट बैंकर को कार्यान्वयन करना होगा;

(ख) उल्लिखित आईपीओ के संबंध में मर्चेंट बैंकर के रूप में चयनित बैंकरों के प्रत्येक उत्तरदायित्व और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित "एक कार्य योजना" जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट सभी कार्य शामिल होंगे, लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं होंगे। चयनित बैंकरों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना का दीपम द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं और योजना दोबारा प्रस्तुत करनी होगी। संशोधित कार्य योजना, दीपम के साथ कार्य योजना में किए गए संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दो दिन के अंदर दीपम को प्रस्तुत करनी होगी। दीपम द्वारा औपचारिक स्वीकृति के बाद संशोधित कार्य योजना अंतिम और बाध्यकारी कार्य योजना बन जाएगी, जिसका मर्चेंट बैंकर को कार्यान्वयन करना होगा।

4.2 चयनित प्रत्येक बैंकर को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निवेशकों की अलग-अलग सूची (जिसमें नाम तथा पता दर्शाया गया हो) जिनसे आईपीओ के लिए चयनित बैंकरों में से प्रत्येक को अलग-अलग संपर्क किया जाएगा, प्रचार-प्रसार से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले दीपम के संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

4.3 चयनित प्रत्येक बैंकर को खुदरा निवेशकों तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत रणनीति आरएचपी दायर करने से कम से कम 14 (चौदह) दिन पहले दीपम के संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ताकि आईपीओ में खुदरा भागीदारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके;

4.4 चयनित बैंकरों को अंतिम कार्य योजना (जैसा ऊपर संदर्भित है) के संबंध में की गई प्रगति और कार्यवाई अवधि के दौरान किए गए कार्यों (की गई अनुवर्ती कार्रवाई सहित) के बारे में नियमित जानकारी, जैसा दीपम द्वारा निर्णय किया जाए, देनी होगी और इस जानकारी के दिए जाने के दिन के बाद की अवधि के लिए कार्रवाई योजना की जानकारी देनी होगी।

4.5 चयनित बैंकरों को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ बैठकों के बाद संभावित मात्रा तथा अंतिम बातचीत पर आधारित संभावित मूल्य और कोष प्रबंधकों की प्रतिक्रिया के साथ निवेशकों की बुक बिल्डिंग की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

4.6 चयनित बैंकरों को आईपीओ के लिए (आईपीओ के संबंध में अन्य कार्यों के अलावा) उपयुक्त तथा सही समय और उत्तम न्यूनतम मूल्य के संबंध में दीपम को सलाह देनी होगी।

4.7 इसके अतिरिक्त, आईपीओ के समापन के बाद, के 10 दिन के अंदर चयनित बैंकरों को दीपम द्वारा स्वीकृत अंतिम कार्य योजना पर एक स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। दीपम द्वारा अंतिम कार्य योजना तथा चयनित बैंकरों द्वारा भेजे गए स्व-मूल्यांकन के आधार पर बैंकरों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसे भावी नियुक्तियों के लिए दीपम द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

5. पात्रता

5.1 बोलीदाता द्वारा **01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019** तक की अवधि के दौरान संपन्न किये गए घरेलू इक्विटी निर्गम (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश) का कुल आकार कम से कम **1000 करोड़ रुपये** होना चाहिए।

या

बोलीदाता द्वारा **01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019** तक की अवधि के दौरान संपन्न की गई बिक्री की पेशकशों/क्यूआईपीएस का कुल आकार कम से कम **1000 करोड़ रुपये** होना चाहिए और **01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019** तक की अवधि के दौरान संपन्न की गई आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों का कुल आकार कम से कम **500 करोड़ रुपये** होना चाहिए।

5.2 सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया हेतु सलाहकारों की अर्हता हेतु दिशा-निदेश निर्धारित किए हैं जो **अनुबन्ध-III** में दिए गए हैं। उपरोक्त पैरा 5.1 में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दिशा-निर्देशों को पढ़ें और तदनुसार, यदि पात्र हों तो, प्रस्ताव के भाग के रूप में, निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

"हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे या हमारी किसी सहयोगी फर्म के विरूद्ध, किसी न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुनाई गयी है या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी गंभीर अपराध हेतु अभियोग नहीं चलाया गया है/प्रतिकूल आदेश नहीं दिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे विरूद्ध या हमारी किसी सहयोगी संस्था के विरूद्ध या हमारी संस्था या हमारी सहयोगी संस्था के किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक/ प्रबंधक/ कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी जांच लंबित नहीं है। यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 8 जून, 2011 के का.ज्ञा. 5/3/2011-नीति में यथा-परिभाषित, हितों का कोई टकराव आज की तिथि तक नहीं है और यदि भविष्य में ऐसा कोई हितों का टकराव उत्पन्न होता है तो हम भारत सरकार/कंपनी को इस विषय में सूचित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस समय, हम किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था (कोई कंपनी, भागीदारी, एकायत्त संस्था अथवा व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों की एसोसिएशन अथवा वैयक्तिक निकाय समेत), जो कंपनी (विनिवेश की जाने वाली) के समानांतर व्यावसाय से जुड़ी हो, को किसी ऐसे सौदे के संबंध में, जो उस सौदे की प्रकृति का हो जिसके लिए सरकार तथा/या कंपनी (विनिवेश की जाने वाली) द्वारा सलाहकार का चयन प्रस्तावित है, को सलाह नहीं दे रहे हैं या उनकी ओर से कार्य नहीं कर रहे हैं या उनके साथ किसी प्रकार से जुड़े नहीं हैं सिवाय इसके जो इसी प्रकार के कारोबार और इसी प्रकार के सौदों में हमारे द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अधिदेशों की संलग्न सूची में उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, हम यह प्रमाणित करते हैं एवं वचनबद्धता करते हैं कि सलाहकार के रूप में हमारी नियुक्ति (नियुक्ति हो जानने की स्थिति में) की तिथि से लेकर, सौदे की समाप्ति तक की अवधि में,

हम सरकार/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम को, किसी अधिदेश/ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत्त संस्था अथवा व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों की एसोसिएशन अथवा वैयक्तिक निकाय शामिल है), जो कंपनी (विनिवेशित की जाने वाली) के समानांतर व्यावसाय से जुड़ी हो, के किसी ऐसे सौदे हेतु, जिसकी प्रकृति उस सौदे की तरह है जिस सौदे के लिए हम सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, के साथ, सलाह देने के लिए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए या उससे जुड़ने के लिए, संपन्न किए गए करार के विषय में सूचित करेंगे।"

(यह प्रमाण-पत्र, बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।)

नोट : प्रमाण पत्र की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन न करें। स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो अलग से प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण :

6.1 प्रस्ताव को निम्न निदेशों के अनुसार प्रस्तुत करना होगाः

(i) **लिफाफा 1 (गैर-सीलबंद)** जिसके अंदर निम्न सामग्री हो :

(क) "वेतन एवं लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, दीपम, नई दिल्ली" के पक्ष में आहरित, दिल्ली में देय, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,00,000 रु. (केवल एक लाख रुपए) का प्रतिदेय शुल्क (बी आर एल एम स चयन के बाद लौटाया जाएगा) (अनुलग्नक-1)

(ख) पैरा सं. 5.2 के अनुसार प्रमाण-पत्र, जो बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। (अनुलग्नक -2)

(ग) **अनुबंध-IV** में दिए गए प्रारूप में प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-3)।

(घ) प्राधिकार पत्र, जिसमें बोलीदाता के व्यक्ति को प्रस्ताव तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो (अनुलग्नक-4)।

(ङ) सेबी द्वारा मर्चेंट बैंकर को जारी श्रेणी-I के वैध प्रमाण-पत्र की प्रति (अनुलग्नक - 5); और

(च) इस आशय का पुष्टिकरण पत्र कि आप दीपम की वेबसाइट www.dipam.gov.in पर दिए गए प्रारूप में मॉडल करारों के आधार पर करार संपन्न करने के लिए सहमत हैं (अनुलग्नक -6)।

(ii) **लिफाफा 2 (सीलबंद)** जिसमें पैरा 6.4 में दिए गए प्रारूप के अनुरूप तकनीकी बोली हो, जिसे बोलीदाताओं की मौजूदगी में **02 सितम्बर, 2019 को 1530 बजे समिति कक्ष सं. 421, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, ब्लॉक-14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में** खोला जाएगा। बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि बोली खुलने के पश्चात तकनीकी बोली की सॉफ्ट प्रति निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में भेजें।

(iii) **लिफाफा 3 (सीलबंद)** जिसमें वित्तीय बोली हो और प्रस्तुतीकरणों के बाद केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर चुकी हों। बोलियों को, बोलीदाताओं (जो प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी अर्हता प्राप्त कर चुके हों) की मौजूदगी में, प्रस्तुतीकरणों के तुरंत पश्चात खोला जाएगा। शर्तों के साथ प्रस्तुत की गई बोली, सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.2 प्रस्ताव **(सभी तीन लिफाफे)** की पठनीय मूल प्रतियां, जो मर्चेंट बैंकर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, **श्री जगदीश कुमार, उप निदेशक,** दीपम, कक्ष सं. 431, चतुर्थ तल, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 के पास **दिनांक 02.09.2019 को अपराहन 1500 बजे तक** जमा की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के डाक/कोरियर संबंधी विलंब के लिए भारत सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

6.3 सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

6.4 <u>प्रस्ताव का प्रारूप</u> :

प्रस्तावों को निम्नलिखित खण्डों के अनुसार, विस्तृत रूप से जमा करना होगा। प्रत्येक मानदण्ड के संबंध में मर्चेंट बैंकरों के मूल्यांकन हेतु भार को प्रत्येक खण्ड के सामने दर्शाया गया है।

खण्ड (क) :

<u>सलाहकार/वैश्विक समन्वयकों के रूप में इसी प्रकार के सौदों के संचालन का अनुभव एवं क्षमताएं</u> - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 15/100) **(01.04.2016 से 31.03.2019)**

(i) संस्था का ब्यौरा, जिसमें संभावित बही संचालक अग्रणी प्रबंधक (बोलीदाता) के संविधान, स्वामित्व तथा व्यावसायिक गतिविधियों का पूर्ण विवरण हो। संघ बोली के मामले में, समन्वयक फर्म, जिसके पास अधिदेश का मुख्य उत्तरदायित्व हो (Consortium Leader) तथा इसके साथ अन्य भागीदारों का ब्यौरा, प्रत्येक भागीदार से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। संघ बोलीदाता का उत्तरदायित्व 'संयुक्त' एवं 'पृथक' होगा।

नोट :

1. संघ भागीदार(रों) को श्रेणी-। का मर्चेंट बैंकर होना चाहिए और उसके/उनके पास सेबी द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण-पत्र हो और उनके द्वारा प्रस्ताव के भाग के रूप में खंड-5.2 के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. संघ को एक पार्टी माना जाएगा तथा चयन की स्थिति में डीआरएचपी/आरएचपी/प्रोस्पेक्ट्स जैसे दस्तावेजों में केवल संघ के मुखिया के नाम का ही उल्लेख किया जाएगा।
3. एक संघ के भागीदार को, दूसरे संघ के भागीदार के रूप में, बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म तथा प्रत्येक संघ भागीदार, यदि लागू हो, की पिछले तीन वर्षों की विस्तृत वार्षिक रिपोर्टें या लेखापरीक्षित वित्तीय लेखे।

(iii) लंबित मुकदमा और आकस्मिक देयता, यदि कोई हो, तो इसका पूर्ण उल्लेख किया जाए। प्रर्वतकों/भागीदारों, निदेशकों आदि के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि और लंबित मुकदमों, यदि कोई हो, का विस्तृत विवरण तथा संभाव्य हितों के टकराव के क्षेत्रों को भी दर्शाया जाए।

नोटः संघ के मामले में प्रत्येक प्रस्तावित भागीदार का इसी प्रकार का ब्यौरा अपेक्षित होगा।

(iv) **पैरा** 5.1 **में पात्रता संबंधी मापदंडों में उल्लिखित निर्गम** के आकार के संबंध में बीआरएलएम के रूप में प्रबंधित घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय इक्विटी पेशकश का पूर्ण ब्यौरा, **<u>अनुबन्ध - II</u>** में दिये गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए।

खण्ड (ख):

<u>लेफ्ट लीड के रूप में संचालित निर्गमों की संख्या</u> - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 15/100)
(01.04.2016 से 31.03.2019)

(i) लेफ्ट लीड के रूप में प्रबंधित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पेशकशों का ब्यौरा **अनुबंध**-II में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।

खण्ड (ग):

घरेलू इक्विटी बिक्री और वितरण क्षमता - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 5/100)

(i) भारतीय निर्गमों विशेषकर भारतीय निर्गमों, एशियाई इक्विटी तथा वैश्विक इक्विटी की बिक्री की प्रदर्शनीय क्षमता; तथा वितरण नेटवर्क तथा ब्रोकिंग क्षमता के साथ दर्शाई जाए।

(ii) भारत में ब्रोकिंग केन्द्रों के साथ ट्रेडिंग रैंक।

खण्ड (घ) :

<u>निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के साथ विगत कार्य निष्पादन (विभाग का पूर्व नाम विनिवेश विभाग) **(01.04.2016 से)**</u> -
(**मूल्यांकन हेतु महत्व** 10/100)

(i) मर्चेन्ट बैंकर का मूल्यांकन, विभिन्न निर्गमों में आवेदनों की संख्या तथा उनके द्वारा जुटाई गई निर्गम राशि, जिसमें दीपम ने भी भारत सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश किया हो, के आधार पर किया जाएगा।

(ii) डील टीम की गुणवत्ता तथा सौदों के दौरान उत्पन्न मामलों को निपटाने की क्षमता।

(iii) डील टीम की विनियामक ढांचे की समझ तथा विभाग/कंपनी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की समयबद्धता तथा गुणवत्ता।

खण्ड (ड.):

<u>क्षेत्र विशेषज्ञता, अनुभव और वैपकोस लिमिटेड की इंजिनियरिंग कंसलटेंसी समझ</u> - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 10/100)

(i) खनन क्षेत्र में किए गए कार्य दर्शाएं - जैसे कि किया गया अध्ययन या अनुसंधान।

(ii) वैपकोस लिमिटेड सहित खनन के क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ता/विशेषज्ञता, यदि कोई हो, दर्शाए।
(iii) खनन के क्षेत्र में **01.04.2016 से 31.03.2019** तक संपन्न की गई सार्वजनिक पेशकशें।
(iv) दूरसंचार के क्षेत्र में संचालन कार्य कर रही कम्पनियों पर तैयार की गई अनुसंधान रिपोर्टें।
(v) वैपकोस लिमिटेड का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण।

खण्ड (च):

डील टीम की योग्यता तथा सौदे के लिये मानव शक्ति की प्रतिबद्धता - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 10/100)

मुख्य टीम **(कोर टीम),** जो प्रस्तावित निर्गम को संचालित करेगी, का विस्तृत विवरण, संस्था में उनका दर्जा, उनकी पृष्ठभूमि, योग्यता, अनुभव एवं वर्तमान पता, दूरभाष संख्या - कार्यालय, निवास, मोबाइल, ईमेल आदि-व्यवहारिक अनुभव का विवरण दिया जाए। **पर्यवेक्षी टीम** का भी इसी प्रकार का विवरण अलग से दिया जाए।

अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले अन्य पेशेवरों का विवरण अलग से दिया जाए।

इस संबंध में एक वचनबद्धता भी दी जाए कि यदि प्रक्रिया के दौरान मुख्य टीम का कोई भी सदस्य, त्याग पत्र देने आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो सरकार की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा।

खण्ड (छ) :

बाजार रणनीति एवं निर्गम-पश्चात् बाजार सहयोग - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 10/100)

(i) मांग की गुणवत्ता तथा मात्रा को अधिकतम बनाने हेतु सुझाया गया इष्टतम संघ (सिंडिकेट) ढांचा।
(ii) सिंडिकेट के प्रोत्साहन हेतु प्रस्ताव।
(iii) विपणन-पूर्व रणनीति।
(iv) प्रस्तावित प्रचार-प्रसार का स्थान तथा उपरोक्त स्थान का सुझाव देने के कारण तथा बीआरएलएम के प्रतिनिधियों का स्तर जो घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार में जाएंगे।
(v) मांग विश्लेषण तथा मांग पर प्रभाव डालने वाले पहलू।
(vi) शेयर के विपणन हेतु रणनीति (ब्रोकर नेटवर्क सहित)।
(vii) लक्षित निवेशक समूहों की पहचान हेतु रणनीति।
(viii) प्रतिबद्धता (एं) जो प्रस्तावित "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" में आपके संलिप्त होने पर बाधा अथवा हित टकराव के रुप में सामने आएंगी।
(ix) विगत में भारतीय निर्गम प्रबंधन के विशेष संदर्भ में पश्च-बाजार सहायता प्रदान करने की क्षमता।
(x) पेशकश के विपणन हेतु मुख्य बिक्री बिन्दुओं की पहचान।
(xi) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के मूल्य निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली मूल्य निर्धारण पद्धति का विवरण। उत्तरदायित्व क्षमता जिसमें उस उत्तरदायित्व के समर्थन में उपलब्ध निवेशक बैंक का पूंजी आधार, विगत उत्तरदायित्व प्रतिबद्धता तथा अनुभव का रिकार्ड

सम्मिलित हो। उन उत्तरदायित्व संबंधी प्रतिबद्धताओं (कठिन उत्तरदायित्व समेत) का विवरण जिन्हें पूरा नहीं किया जा सका हो।

(xii) प्रस्तावित "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" को आरंभ करने हेतु वास्तविक समय-सारणी दर्शाए जिसमें इस प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का अलग-अलग ब्यौरा दिया गया हो।

खण्ड (ज):

<u>स्थानीय उपस्थिति तथा भारत के प्रति प्रतिबद्धता तथा फुटकर निवेशक भागीदारी आकर्षित करने की क्षमता</u> - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 10/100)

गुणात्मक तथा मात्रात्मक, दोनों के आधार पर, विशेषकर अनुसंधान टीम तथा उपलब्ध आधारभूत संरचना के संदर्भ में, बोलीदाताओं की भारत में उपस्थिति को प्रमाणित करने हेतु एक संक्षिप्त नोट दिया जाए। विवरण में निवेश बैंकिंग (इक्विटी सेगमेंट) में नियोजित श्रमशक्ति, भारत में कार्यालय और अन्य संबंधित सूचना शामिल होनी चाहिए। अधिकतम खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु वितरण नेटवर्क क्षमता को दर्शाया जाए।

खण्ड (झ):

<u>वैश्विक उपस्थिति तथा वितरण क्षमता</u> - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 10/100)

(i) वैश्विक नेटवर्क तथा वितरण क्षमता दर्शाएं।

(ii) **01.04.2016 से 31.03.2019** तक की अवधि के दौरान इक्विटी की सार्वजनिक पेशकश हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों से भारत में संचारित की गई निधियां।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के साथ आपसी समझ एवं संबंध।

खण्ड (ञ):

<u>अनुसंधान क्षमता</u> - (**मूल्यांकन हेतु महत्व** 5/100)

(i) देश में तथा वैश्विक स्तर पर अनुसंधान क्षमता। कृपया **अनुबंध**-V में दिए गए प्रारूप में ब्यौरा प्रस्तुत करें।

(ii) जिस क्षेत्र से सीपीएसई संबंधित है उस क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान रिपोर्टों की संख्या।

(iii) रैंकिंग, यदि कोई हो, सहित अनुसंधान टीम की पृष्ठभूमि।

<u>नोट (खंड घ का संदर्भ लें) :</u>

वे मर्चेन्ट बैंकर, जिन्होंने विगत में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (पूर्ववर्ती विनिवेश विभाग) के साथ कोई भी कार्य नहीं किया है, उपरोक्त खण्ड 'ख' को छोड़कर सभी मापदंडों के आधार पर मूल्यांकित किये जाएंगे तथा उन्हें 100 के स्थान पर 90 में से अंक दिये जाएंगे एवं तत्पश्चात उन्हें आनुपातिक रूप से 100 के स्केल में बढ़ा दिया जाएगा ताकि वे न तो लाभ की स्थिति में हो एवं न ही नुकसान की स्थिति में।

6.6 मांगी गई उपरोक्त संपूर्ण जानकारी को, उस अतिरिक्त जानकारी के साथ, जो बोलीदाता प्रस्ताव के भाग के रूप में आवश्यक समझता हो, पैरा 6.2 में उल्लिखित अधिकारी को भेजा जाए (12 फॉन्ट साइज में अधिकतम 10 पृष्ठ)।

7. बिक्री कमीशन का भुगतान

7.1 खुदरा निवेशकों की व्यापक भागीदारी सृजित करने के लिए ब्रोकरों आदि को ब्रोकरेज के भुगतान से संबंधित व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। यह ब्रोकरेज, खुदरा निवेशकों को किए गए आबंटन के संबंध में 0.35%; गैर-संस्थागत निवेशकों को दिए गए आबंटन के संबंध में 0.15% और पात्र कर्मचारियों को उनके लिए आरक्षित कोटे में से किए गए आबंटन के संबंध में 0.25% होगी। पहले ब्रोकरेज का भुगतान नियुक्त बीआरएलएम द्वारा किया जाएगा और सौदे की सफल संपन्नता के पश्चात आबंटन के आधार को अंतिम रूप देने के एक माह की निर्धारित अवधि के अंदर वास्तविक भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ब्रोकरेज की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों (बीआरएलएमएस) के चयन की प्रक्रिया

8.1 अर्हताप्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को, प्रस्तावित सौदे हेतु, **ऊपर पैरा 6.4 में निर्धारित प्रारूप** के अनुरूप अपनी योग्यताओं का प्रस्तुतीकरण अंतर-मंत्रालय समूह, नई दिल्ली के समक्ष **दीपम के समिति कक्ष, कक्ष सं. 421, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 करना होगा। प्रस्तुतीकरण के समय की जानकारी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की वेबसाइट 'www.dipam.gov.in' पर, उचित समय पर डाल दी जाएगी।** मुख्य टीम का टीम लीडर ही उक्त प्रस्तुतीकरण करेगा।

8.2 बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऊपर पैरा 6.4 में दिए गए मानदंडों के आधार पर, अन्तर मंत्रालय दल द्वारा किया जाएगा तथा उनकी वित्तीय बोली खोलने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल उन्हीं पार्टियों को तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने 100 में से पूर्वनिर्धारित अंक, जिसकी घोषणा प्रस्तुतीकरण से पहले कर दी जाएगी, प्राप्त किए हों।

8.3 बोलीदाताओं को, उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के पश्चात, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाता, यदि वे इच्छुक हों तो, वित्तीय बोली खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय बोली खोलने से पूर्व, अर्हक अंक और संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा की जाएगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय की घोषणा प्रस्तुतीकरण के समय की जाएगी।

8.4 तकनीकी मूल्यांकन में संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों को 70 अंक की महत्ता (weightage) दी जाएगी। इसी प्रकार, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को 30 अंक की महत्ता दी जाएगी। गुणवत्ता और लागत आधारित पद्धति के आधार पर तकनीकी एवं वित्तीय बोली के संयुक्त अंक एच 1, एच 2 तथा एच 3 एवं अन्य का निर्धारण करेंगे।

8.5 उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर सर्वाधिक अंक/प्वाइंट प्राप्त करने वाली पार्टी (एच1) को सौदे हेतु नियुक्त किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य पाए गए अन्य अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं, एच2, एच3 तथा इसी क्रम में अन्य को शुल्क में हिस्सेदारी करने के बारे में पैरा 8.7 में उल्लिखित नियमों को स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा तथा जो पार्टियां शुल्क को स्वीकार कर लें, उनको भी उस संख्या तक नियुक्त किया जाएगा जब तक आवश्यक संख्या में बीआरएलएम की नियुक्ति न हो जाए। सरकार बीआरएलएम के रूप में नियुक्ति हेतु कम संख्या में बोलीदाताओं के चयन पर विचार कर सकती है।

8.6 नियुक्त बीआरएलएम में से जिसने तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त किए हों उसे सौदे हेतु लेफ्ट लीड के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बीआरएलएम द्वारा समान अंक प्राप्त करने की दशा में जिस बीआरएलएम के पास 01.04.2016 से 31.03.2019 तक लेफ्ट लीड के रूप में सौदों के संचालन का अधिक अनुभव होगा उसे लेफ्ट लीड नियुक्त किया जाएगा।

8.7 अन्वेषित शुल्क (एच1 द्वारा उद्धृत शुल्क) में से 10% का भुगतान लेफ्ट लीड को किया जाएगा। 60%अन्वेषित शुल्क में बीआरएलएम (लेफ्ट लीड सहित) द्वारा समान रूप से हिस्सेदारी की जाएगी। 30% अन्वेषित शुल्क में बैंकर्स द्वारा हिस्सेदारी की जाएगी जो प्रत्येक बैंकर द्वारा हासिल समग्र अंतिम बोली राशि (अस्वीकार किए गए और वापस लिए गए मामलों को छोड़कर) (कंपनी के कर्मचारियों को छोड़कर अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं (क्यूआईबी), गैर संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों सहित) के अनुपात में होगा। प्रत्येक बैंकर द्वारा हासिल बोली के परिकलन की पद्धति इस प्रकार होगी :

- प्रत्येक बैंकर द्वारा गैर संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों के खंड में हासिल बोली राशि का परिकलन शेयरों के आबंटन के लिए आरटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों (सभी बीआरएलएमस द्वारा प्रमाणित) के आधार पर किया जाएगा।
- प्रत्येक बैंकर द्वारा अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं से हासिल बोली राशि का परिकलन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

  बीआरएलएम अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं की सूची प्रस्तुत करेंगे जिनसे आरएचपी दीपम के पास दायर करने से पहले प्रत्येक बीआरएलएम द्वारा संपर्क किया जाएगा। एक निवेशक को एक से अधिक बीआरएलएम आबंटित किए जा सकते हैं।

  उन क्यूआईबी निवेशकों के मामले में जिन्हें पहले ही बीआरएलएम को आबंटित किया जा चुका है :

  उस संबंधित बीआरएलएम को श्रेय दिया जाएगा जिसे विचाराधीन निवेशक आबंटित कर दिया गया था। यदि एक निवेशक को एक से अधिक बीआरएलएम को आबंटित कर दिया गया हो तो सभी जिम्मेदार बीआरएलएम को समान श्रेय दिया जाएगा।

  उस क्यूआईबी निवेशक के मामले में जिसे किसी बीआरएलएम को आबंटित नहीं किया गया है:

  (क) उस बीआरएलएम को श्रेय दिया जाएगा जिसमें निवेशक के साथ बैठक/कॉल की व्यवस्था की हो।

(ख) जिस अनाबंटित निवेशक के लिए बीआरएलएम ने बैठक/कॉल की व्यवस्था न की हो उसके मामले में एक लिखित पुष्टि (मेल/ब्लूमबरग पुष्टि/आवेदन प्रपत्र से ब्रोकर कोड सहित) के आधार पर बीआरएलएम को श्रेय दिया जा सकता है।

(ग) यदि कोई अनाबंटित निवेशक उपरोक्त (क) या (ख) के अंतर्गत नहीं आता है तो ऐसे निवेशकों के लिए श्रेय की बीआरएलएम के बीच समान रूप से हिस्सेदारी की जाएगी।

8.8 चयनित बोलीदाता एक टीम के रूप में काम करेंगे और बही संचालक अग्रणी प्रबंधक कहलाएंगे।

8.9 शुल्क निर्मुक्त करने के लिए सभी बीआरएलएम द्वारा संयुक्त रूप से उनके द्वारा हासिल निवेशकों की सूची प्रमाणित की जानी चाहिए। दीपम शुल्क के भुगतान के लिए बीआरएलएम द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए प्रमाण-पत्र पर ही विचार करेगा।

9. वित्तीय बोली हेतु अपेक्षाएं

9.1 बोलीदाता को सौदे हेतु शुल्क विनिवेश से प्राप्त धनराशि अर्थात **सरकार के बैंक खाते में प्राप्त धनराशि के प्रतिशत के रूप में** उद्धृत करना होगा। उद्धृत शुल्क दशमलव के बाद 4 (चार) अंकों तक सीमित रहना चाहिए। बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क में सभी लागू कर, उपकर, शुल्क आदि सम्मिलित होने चाहिए। शुल्क का भुगतान प्रत्येक सौदे की सफल समाप्ति के बाद भारतीय रुपये में किया जाएगा।

नोट : सभी मर्चेंट बैंकरों को, मदों, जैसेकि स्टेशनरी के मुद्रण; वैधानिक विज्ञापनों को तैयार करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन एजेंसियों/जन-संपर्क एजेंसियों से संबंधित व्यय, फाईलिंग शुल्क के रूप में सेबी को देय शुल्क; बुक बिल्डिंग हेतु सॉफ्टवेयर प्रयोग करने हेतु एनएसई एवं बीएसई को भुगतान तथा शेयरों के अंतरण हेतु न्यासधारियों या न्यासधारी के हिस्सेदारों को किए जाने वाले भुगतान; सरकार द्वारा अदा किए जाने वाले बिक्री कमीशन/दलाली के अतिरिक्त, मर्चेंट बैंकरों द्वारा भुगतान किए गए किसी बिक्री कमीशन/दलाली पर हुए खर्चों का अलग-अलग विवरण देना होगा। इन विवरणों को, वित्तीय बोली के साथ, इसके परिशिष्ट के रूप में, अलग कागज़ में देना होगा।

9.2 निर्गम की अवधि के दौरान बीआरएलएम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में किसी कमी जैसेकि पर्याप्त संख्या में निवेशकों के साथ बैठकें आयोजित न करना, मुद्रित किए जाने वाले आवेदन प्रपत्रों की संख्या में कमी, बीआरएलएम की ओर से दस्तावेज दायर करने में विलंब के मामले में **दीपम** के पास सौदे के अंत में बीआरएलएम को दिए जाने वाले कुल शुल्क में से **2% की कटौती करने** का अधिकार सुरक्षित है। इस बारे में दीपम का निर्णय अंतिम होगा।

9.3 उद्धृत फीस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए तथा उसमें मध्यस्थों पर किया जाने वाला खर्च और उपरोक्त पैरा 3.1 में दिये गए कार्यों पर होने वाला खर्च सम्मिलित होना चाहिए।

9.4 बोलीदाता ड्रॉप-डेड शुल्क, यदि कोई हो, उद्धृत कर सकते हैं जिसका भुगतान सरकार द्वारा उस स्थिति में किया जाएगा जब बोलीदाता द्वारा प्रक्रिया आरंभ कर दिए जाने के पश्चात, सरकार सौदे को रद्द कर दे। अंतिम रुप से चयनित किसी भी बोलीदाता द्वारा उद्धृत निम्नतम ड्रॉप-डेड शुल्क को ही सरकार द्वारा देय ड्रॉप डेड शुल्क माना जाएगा जिसमें सभी बोलीदाताओं द्वारा

समान रूप से हिस्सेदारी की जाएगी। एच 1 बोलीदाता का निर्धारण करने में ड्रॉप-डेड शुल्क कोई मापदंड नहीं होगा।

9.5 सभी बोलीदाता, विधि के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

10. नियुक्ति का समापन

10.1 यदि सौदे के दौरान या कार्य सौंपने से पहले किसी समय या इसके निष्पादन के बाद और इसके जारी रहते हुए या उसके बाद यह पाया जाए कि बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुरोध में निर्धारित शर्तो और निबंधनों में से किसी एक या अधिक की बोलीदाता द्वारा पूर्ति नहीं की गई है या बोलीदाता ने अयथार्थ सामग्रीगत विवरण दिया है या कोई गलत या फर्जी सामग्रीगत जानकारी दी है तो बोलीदाता को, यदि उसे मर्चेंट बैंकर/बिक्रीकर्ता ब्रोकर मे नियुक्त नहीं किया गया है, तुरन्त अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और यदि चयनित बोलीदाता को पहले से ही मर्चेंट बैंकर/बिक्रीकर्ता जैसा भी मामला हो, के रूप मे पहले ही नियुक्त कर लिया गया है, तो इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध में किसी प्रतिकूल बात के रहते हुए इस करार को दीपम द्वारा चयनित बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है और दीपम चयनित बोलीदाता के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। यह कार्रवाई किसी अन्य उस अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना होगी जो बोली दस्तावेजों के अधीन या अन्यथा दीपम के पास उपलब्ध होंगे। तथापि, करार को समाप्त करने से पहले उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें कहा गया होगा कि क्यों न उसकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाए।

10.2 इसके अलावा, उल्लिखित आईपीओ के लिए चयनित बैंकरों की नियुक्ति की अवधि के दौरान यदि किसी समय दीपम (अपने विवेकानुसार) द्वारा यह विचार किया जाए कि चयनित बैंकर दीपम की संतुष्टि के अनुसार कार्यनिष्पादन नहीं कर रहे हैं तो दीपम के पास बिना कोई कारण बताए चयनित मर्चेंट बैंकर के स्थान पर किसी अन्य मर्चेंट बैंकर को नियुक्ति करने, जैसा भी दीपम द्वारा उचित समझा जाए, का अधिकार होगा।

11. गैर-प्रकटीकरण करार

11.1 चयनित बीआरएलएम को कंपनी के साथ एक गैर-प्रकटीकरण करार संपन्न करना होगा। करार संपन्न न करने पर उनकी नियुक्ति बातिल और शून्य हो जाएगी।

12. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु **श्री जगदीश कुमार, उप निदेशक,** दीपम, वित्त मंत्रालय, कक्ष सं. 431, चतुर्थ तल, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 **को टेलीफोन नं**. 011-24368036, **ई-मेल** j.kumar75@nic.in **पर संपर्क करें।**

वैपकोस लिमिटेड की "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के लिए स्टेशनरी की संकेतात्मक सूची

क्र.सं.	**विवरण**
1.	ड्राफ्ट रेड हैरिंग प्रोस्पैक्टस
2.	रेड हैरिंग प्रोस्पैक्टस (साधारण एवं विशेष)
3.	प्रौस्पैक्टस
4.	पुस्तिका के रुप में ज्ञापन सहित बोली-सह-आवेदन प्रपत्र (प्रवासी/गैर-प्रवासीकर्मचारी/)
5.	पोस्टरबैनर/
6.	कैन (सीएएन), रिफन्ड स्टेशनरी आदि

घरेलू/अंतराष्ट्रीय इक्विटी पेशकशों का विवरण

मापदण्ड	01.04.2016-31.03.2017		01.04.2017-31.03.2018		01.04.2018-31.03.2019	
	अधिदेश	**मूल्य (करोड़ रु.)**	**अधिदेश**	**मूल्य (करोड़ रु.)**	**अधिदेश**	**मूल्य (करोड़ रु.)**
घरेलू इक्विटी की सार्वजनिक पेशकशें	1		1		1	
	2		2		2	
	3		3		3	
कुल						
अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी की सार्वजनिक पेशकशें	1		1		1	
	2		2		2	
	3		3		3	
कुल						
प्रचार-प्रसार से पहले या बाद में रोकी गई/वापस ली गई सार्वजनिक पेशकशें	1		1		1	
	2		2		2	
	3		3		3	
कुल						

टिप्पणी : कृपया यह दर्शाएं कि क्या उपर्युक्त के अलावा इक्विटी की किसी अन्य सार्वजनिक पेशकश के लिए भारत सरकार द्वारा आपको नियोजित किया गया था, यदि हां, तो विवरण दीजिए।

अनुबंध-III

सं. 5(3)/2011-नीति

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

दीपम

ब्लॉक संख्या 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दिनांक 08 जून, 2011

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- विनिवेश प्रक्रिया के लिए मर्चेंट बैंकरों की अर्हता के लिए दिशा - निदेश।

प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से मर्चेंट बैंकरों के चयन में जनता के विश्वास को प्रेरित करने के लिए, सरकार ने उनके चयन के मापदण्डों को परिभाषित करते हुए, व्यापक एवं पारदर्शी दिशा-निदेश तैयार किए थे। क्षेत्र अनुभव, ज्ञान, प्रतिबद्धता आदि जैसे अनेक मापदण्डों का उपयोग करने के अतिरिक्त, विनिवेश सौदों के लिए सरकार के लिए मर्चेंट बैंकरों के रूप में कार्य करने वाली पार्टियों की योग्यता/अयोग्यता के लिए अतिरिक्त मापदण्ड, दीपम द्वारा अपने दिनांक 02.05.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/3/2011-नीति के तहत निर्धारित किए गए थे।

2. इस विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में, विनिवेश सौदों के लिए मर्चेंट बैंकरों के रूप में कार्य करने वाली पार्टियों की योग्यता/अयोग्यता के लिए संशोधित मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:

(क) संबंधित मर्चेंट बैंकरों या उनकी सहायक संस्था के विरूद्ध, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आरोप/गंभीर अपराध के लिए प्रतिकूल आदेश, उसके लिए आयोग्यता बन जाएगा। गंभीर अपराध, इस प्रकार की प्रकृति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो समुदाय की नैतिक भावना को आघात पहुँचाता हो। अपराध की प्रकृति के विषय में निर्णय, मामले के तथ्यों एवं सरकार के संगत विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा। इसी प्रकार, सहायक संस्थाओं के बीच संबंधों के संबंध में निर्णय, संगत तथ्यों के आधार पर तथा यह जांच करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दोनों संस्थाएं काफी हद तक एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

(ख) यदि ऐसी कोई अयोग्यता, संस्था को मर्चेंट बैंकरों के रूप में नियुक्त कर लिए जाने के बाद उत्पन्न होती है तो पार्टी, विनिवेश प्रक्रिया से स्वतः अपना नाम वापस लेने के लिए बाध्य होगी और ऐसा न करने पर, सरकार नियुक्ति/संविदा को समाप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

(ग) अयोग्यता, उतनी अवधि के लिए जारी रहेगी जो अवधि सरकार द्वारा उचित समझी जाए।

(घ) जिस संस्था को विनिवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है, उसे प्रक्रिया से संबद्ध रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी या वह केवल इस आधार पर संबद्ध नहीं हो पाएगी कि उसने उस आदेश, जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है, के विरूद्ध अपील कर दी है। अपील के लंबित रहने मात्र से अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) अयोग्यता संबंधी मापदण्ड, तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे तथा उन सभी मर्चेंट बैंकरों पर लागू होंगे, जो विभिन्न विनिवेश सौदों, जो अभी संपन्न नहीं हुए हैं, के लिए सरकार द्वारा पहले से नियुक्त किए जा चुके हैं।

(च) किसी संस्था को अयोग्य ठहराने से पूर्व, उसे एक कारण बताओ नोटिस, कि क्यों न उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जारी किया जाएगा तथा उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(छ) इसके बाद, इन मापदण्डों को, मर्चेंट बैंकरों के रूप में कार्य करने वाली इच्छुक पार्टियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इच्छुक पार्टियों को इस संबंध में अपनी ईओआई के साथ, इस आशय की एक वचनबद्धता देनी होगी कि उनके विरूद्ध किसी विनियामक प्राधिकरण की

कोई जाँच लंबित नहीं है। यदि उस संस्था या उसकी सहायक संस्था के खिलाफ या सीईओ या उसके किसी निदेशक/प्रबंधक/कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच लंबित है तो उक्त जांच का पूर्ण ब्यौरा, जिसमें जांच एजेंसी का नाम, आरोप/अपराध, जिसके लिए जांच शुरू की गई है, उन व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम, जिनके खिलाफ जांच शुरू की गई है, शामिल हों एवं कोई अन्य संगत जानकारी का ब्यौरा सरकार की संतुष्टि के अनुसार प्रकट किया जाना चाहिए। किसी अन्य मापदण्डों के लिए भी, ईओआई के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता ली जाएगी। उन्हें यह वचनबद्धता भी देनी होगी कि यदि उन्हें सौदा संपन्न होने से पूर्व, किसी भी समय, विनिर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार अयोग्य ठहरा दिया जाए तो उन्हें इस बारे में सरकार को सूचित करना होगा तथा कार्य से स्वैच्छिक रूप में हटना होगा।

(ज) इच्छुक पार्टियों को, उसी प्रकृति के किसी सौदे, जिस प्रकृति के सौदे के लिए सरकार एवं/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकरों का चयन करने का प्रस्ताव करती है या नियुक्त कर चुकी है, के संबंध में, उन अधिदेशाधीन सौदों का खुलासा करना होगा या उनकी सूची जमा करानी होगी जो कि उस कारोबार के स्वरूप के हैं जो कि कंपनी (जिसका विनिवेश किया जा रहा हो) के हैं तथा लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि सौदे की हैंडलिंग में मर्चेंट बैंकरों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख/उनकी नियुक्ति की तारीख को हित का कोई टकराव नहीं है और यदि भविष्य में कोई हित टकराव उत्पन्न होता है तो सलाहकार, इस बारे में तत्काल सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा है) को सूचित करेगा।

सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो), अपेक्षित एवं उचित अवसर देने के बाद, अपने विवेकाधिकार से यह निर्णय लेगी कि क्या भावी हित के टकराव का, सौदे के संबंध में, सरकार एवं कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के हितों पर भौतिक रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उसे (सरकार/कंपनी को) मर्चेंट बैंकर को, मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करते रहने की सहमति देने या मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार होगा। विनिवेश प्रयोजनों के लिए, हित के टकराव को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसमें मर्चेंट बैंकर द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान, किसी तृतीय पक्ष के सहयोजन में किसी ऐसी गतिविधि या कारोबार में संलिप्त होना शामिल है, जिससे सौदे के संबंध में भारत सरकार और/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के हितों पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो तथा उस सौदे के संबंध में सलाहकार के पास नियुक्ति के दौरान कोई मालिकाना हक या गोपनीय जानकारी हो या उसे प्राप्त हो सकती हो, जिसकी जानकारी, यदि मर्चेंट बैंकर के अन्य ग्राहक को हो जाए तो उसका उस ग्राहक द्वारा इस तरीके से उपयोग किया जा सके जिससे सौदे में भारत सरकार और/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) को सामग्रीगत हानि हो सकती है।

(झ) हित का टकराव, उस स्थिति में उत्पन्न हुआ माना जाएगा यदि सौदे से संबंधित कोई मर्चेंट बैंकर, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत संस्था या व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है), जो कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगी हुई हो, को, उस प्रकृति के किसी सौदे के संबंध में, जिसके लिए सरकार या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकर के चयन का प्रस्ताव करती है या उसकी नियुक्ति कर ली है, सलाह देने या उसकी ओर से कार्य करने या उससे सहबद्ध होने के लिए किसी तृतीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) का निर्णय, कि क्या वह अन्य व्यक्ति या संस्था विनिवेशित की जा रही कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ है/लगी हुई है, अंतिम होगा और मर्चेंट बैंकर के लिए बाध्यकारी होगा।

(ञ) हित का टकराव, उस स्थिति में भी उत्पन्न हुआ माना जाएगा यदि किसी मर्चेंट बैंकर फर्म/संस्था का, उक्त सौदे के लंबित रहने की अवधि के दौरान, उसी विनिवेश सौदे के लिए किसी बोलीदाता फर्म/संस्था के साथ कोई व्यवसायिक या वाणिज्यिक संबंध हो। इस परिप्रेक्ष्य में मर्चेंट बैंकर फर्म एवं बोलीदाता फर्म दोनों का अर्थ भिन्न-भिन्न और अलग-अलग विधिक संस्था होगा तथा इनमें उनकी सहायक संस्था, समूह संस्था या संबद्ध संस्था आदि शामिल नहीं होगी। व्यवसायिक या वाणिज्यिक संबंध की परिभाषा में, बोलीदाता की ओर से कार्रवाई करना या बोलीदाता के

लिए किसी भी प्रकृति का कार्य करना शामिल है, चाहे वह विनिवेश सौदे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो या न हो। (यह खण्ड केवल रणनीतिक बिक्री पर लागू होता है)।

(ट) इच्छुक पार्टियों को यह सूचना देनी होगी तथा यह खुलासा करना होगा कि सौदे के संबंध में मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख/उनकी नियुक्ति की तारीख को, वे किसी ऐसे सौदे, जो उस सौदे की प्रकृति का हो, जिस सौदे के लिए सरकार एवं/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकर के चयन का प्रस्ताव कर रही है या नियुक्त कर लिया है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत संस्था या व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है), जो कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ हो/लगी हुई हो, को सलाह दे रही हैं या उनकी ओर से कार्य कर रही हैं या उनसे जुड़ी हैं।

उपर्युक्त वचनबद्धता देते समय, यदि मर्चेंट बैंकर यह खुलासा करने में असफल रहता है कि वह किसी ऐसे सौदे, जो उस सौदे की प्रकृति का हो, जिस सौदे के लिए सरकार एवं/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकर के चयन का प्रस्ताव कर रही है या नियुक्त कर लिया है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जो कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के कारोबार जैसे कारोबार में लगी हुई हो, को सलाह दे रहा है या उसकी ओर से कार्य कर रहा है या उससे संबद्ध है तो सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) उसकी नुियक्ति को समाप्त करने की हकदार होगी। नियुक्ति को समाप्त करने से पूर्व एक कारण बताओ नोटिस, जिसमें यह पूछा गया हो कि क्यों न उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाए, जारी किया जाएगा जिसमें उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(ठ) मर्चेंट बैंकर की नुियक्ति की तारीख से लेकर सौदे की समाप्ति तक की अवधि के दौरान, मर्चेंट बैंकर किसी अधिदेश/संविदा, जो उसने किसी ऐसे सौदे, जो उस सौदे की प्रकृति का हो, जिस सौदे के लिए मर्चेंट बैंकर को मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत संस्था या व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है), जो कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ/लगी हुई हो, को सलाह देने या उसकी ओर से कार्य करने या उससे संबद्ध होने के लिए संपन्न की हो, से कंपनी/सरकार को अवगत कराएगा। यह प्रावधान है कि यदि सरकारी विनिवेश सौदे के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्ति की तारीख के बाद, छह महीने या उससे अधिक समय बीत गया हो तो अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, मर्चेंट बैंकर को सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) द्वारा अनुमति दे दी जाएगी। इस बारे में सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) का निर्णय अंतिम एवं मर्चेंट बैंकर के लिए बाध्यकारी होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) का इस बारे में निर्णय कि क्या उक्त अन्य व्यक्ति या संस्था, विनिवेशित की जा रही कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ है/लगी हुई है, अंतिम होगा और मर्चेंट बैंकर के लिए बाध्यकारी होगा।

(ड) उपर्युक्त खण्ड (ट) एवं (ठ) के प्रयोजन हेतु, सौदों की 'प्रकृति' में पूंजी बाजार सौदे शामिल होंगे परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं होंगे, जिसमें इसके अलावा शेयरों की या किसी अन्य प्रतिभूति की कोई घरेलू पेशकश, चाहे प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए हो या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के जरिए हो या अर्हताप्राप्त संस्थागत व्यवस्था के जरिए हो या आईडीआर के निर्गम के जरिए हो या किसी अन्य तरीके से हो तथा एडीआर, जीडीआर या एफसीसीबी या किसी अन्य तरीके से प्रतिभूतियों की अंतर्राष्ट्रीय पेशकश शामिल होंगी, परंतु यह यहां तक ही सीमित नहीं होगी।

(ढ) यदि मर्चेंट बैंकर, पूर्वोक्तानुसार, सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) से पूर्व-लिखित सहमति प्राप्त करने में असफल रहता है तो सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो), मर्चेंट बैंकर की नुियक्ति को समाप्त करने की हकदार होगी। नियुक्ति को समाप्त करने से पूर्व, मर्चेंट बैंकर को एक कारण बताओ नोटिस, जिसमें यह पूछा गया हो कि क्यों न उसकी नुियक्ति को समाप्त कर दिया जाए, जारी किया जाएगा, जिसमें उसे अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

हस्ता/-

(वी.पी.गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24368036

प्रतिलिपिः
भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग

<u>अनुबंध-IV</u>

बोलीदाता के लैटरहैड पर शर्त रहित बोली का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है "आईपीओ" के माध्यम से वैपकोस लिमिटेड के विनिवेश हेतु बीआरएलएम के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क, दीपम की वेबसाइट पर दर्शाए गए प्रस्तावों हेतु अनुरोध में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार है और शर्तरहित है।

मोहर सहित मर्चेंट बैंकर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध-V

अनुसंधान रिपोर्टों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	घरेलू कर्मचारियों की संख्या (अंकों में)	अनुसंधान प्रकाशन की संख्या	अंतिम रिपोर्ट के प्रकाशन की तारीख	रेटिंग	लक्षित मूल्य
क. क्षेत्र					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
ख. सीपीएसई के क्षेत्र की कंपनियां					
1					
2					
3					
4					
5					

हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लिया जाए।